

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 अप्रैल 2015—चैत्र 13, शक 1937

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2015

क्रमांक एफ 1/03/2012/एक/14/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने कॉलम 4 में उल्लेखित स्थान पर तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पदस्थ करता है :—

अ. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री ए. एम. जूरी (भापुसे-2000)	पुलिस अधीक्षक, बालोद	सहायक पुलिस महानिरीक्षक, योजना प्रबंध, पुलिस मुख्यालय, रायपुर.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2015

क्रमांक एफ-1-8/31/छ.ग.सिं.प्र.नियम 2006/एस-2/2012(पार्ट).—छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्रमांक 20 सन् 2006) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी नियम, 2006 की धारा 37 के उप-नियम (1) (यथा संशोधित 24 नवम्बर 2011) में निम्नानुसार शुद्धि-पत्र जारी करता है, अर्थात् :—

शुद्धि-पत्र

छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 24 नवम्बर, 2011 में यथा प्रकाशित छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी नियम, 2006 में संशोधन संबंधी अधिसूचना क्रमांक-एफ 11-3/06/आया/40, के हिन्दी पाठ में :—

पृष्ठ क्र. 2331 में,—

1. सरल क्रमांक 1 में, “(एक)” को “(i)” पढ़ा जाए.
2. सरल क्रमांक 2 में, जहां कहीं भी “(दो)” आया हो को “(ii)” पढ़ा जाए.
3. सरल क्रमांक 3 में,—
 - (क) “(चार)” को “(iv)” पढ़ा जाये.
 - (ख) “(पांच)” को “(v)” पढ़ा जाये.

No. F-8/31/CGSP Niyam 2006/S-2/2012(Part),—In exercise of the powers conferred by Section 55 of the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 2006 (No. 20 of 2006), the State Government, hereby issues the following corrigendum in the sub rule (1) of clause 37 (Amended 24 November 2011) of Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Niyam, 2006, namely :—

CORRIGENDUM

In the Hindi version of Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Niyam, 2006 as Published in Chhattisgarh Gazette dated 24 November 2011 vide Amendment Notification No. F 11-3/06/Aya/40, following shall be read :—

In Page No. 2331 :—

1. At Serial No. 1 “(एक)” shall be read as “(i)”.
2. At Serial No. 2 “(दो)” where exists shall be read as “(ii)”.
3. At Serial No. 3 :—
 - (a) “(चार)” shall be read as “(iv)”.
 - (b) “(पांच)” shall be read as “(v)”.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. गुप्ता, उप-सचिव.